न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2025

जी.सी.एम.एस. : 2025/12

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. पदमाराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल 2. भंवरलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल 3. कुपाराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल 4. कपुराराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल 5. नारायणलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल तमाम 1 से 5 निवासीगण माण्डल तहसील रानी जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी

"अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26/02/2026

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार रानी के आदेश क्रमांक राजस्व/अभियान/2021/634 दिनांक 09.12.2021 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट की राजस्व ग्राम माण्डल तहसील रानी के खसरा संख्या 347 रकबा 4.5142 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल सामलाती आयी हुई है, जिसमें प्रत्येक अपीलाण्ट का 1/5 वां हिस्सा है। सभी अपीलाण्ट ने जैर आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा करवाने हेतु हल्का पटवारी के समक्ष दस्तावेज पेश किया। हल्का पटवारी ने सभी खातेदारों के अलग अलग हिस्से दर्ज करते हुये सभी हस्ताक्षर करवाये और मौके अनुसार बंटवाड़ा होने का कथन किया। उक्त आराजी का सहमति से बंटवाड़ा करके खसरा संख्या 347/5 (519/347) सामलाती रूप से बताया गया रास्ता उनके इच्छित स्थान ए से बी भाग दर्ज नहीं कर विपरीत दिशा में सी से डी दर्ज कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता बताया था परन्तु उसके विपरीत जैर अपील रास्ता दर्ज कर दिया गया। अपीलाण्ट को जानकारी होने पर नियत समय में उक्त अपील पेश की गई, जिसे अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुये विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत अपीलाधीन आदेश को अपास्त फरमावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प रानीखुर्द के खसरा संख्या 347 रकबा 4.5142 के खातेदारा ने आपसी सहमति से कृषि जोत का विभाजन करवाने का निवेदन किया तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन, प्रस्ताव की जांच सम्बन्धित पटवारी एवं भू.अ.नि से करवाई गई तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान् के मध्य कोई विवाद नहीं होने पर उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उक्त आपसी सहमति बंटवाड़े पर सभी खातेदारों की सहमति के हस्ताक्षर है और उनकी उपस्थित में यह आदेश पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार रानी द्वारा आपसी सहमति बंटवाड़ा पर पारित आदेश दिनांक 09.12.2021 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना--पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार उसे अपने हकं अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट्स का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि उनके द्वारा चाहा गया रास्ता विपरीत दिशा में दर्ज हो गया। इस तथ्य के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाते है कि अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 09.12.2021 को तहसीलदार रानी के समक्ष प्रशासन गाँवों के संग अभियान के अन्तर्गत सह खातेदारों के मध्य कृषि भूमि के आपसी सहमति से बंटवाड़े हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर समस्त अपीलाण्ट्स, सह–खातेदारों, हल्का पटवारी, आईएलआर एवं तहसीलदार रानी के हस्ताक्षर विद्यमान है, जिससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि बंटवाड़े की कार्रवाई अपीलाण्ट्स की स्वेच्छा, पूर्ण जानकारी एवं स्पष्ट सहमति से प्रारम्भ की गई। अभिलेख से यह भी प्रमाणित होता है कि आवेदन–पत्र में प्रस्तावित रास्ता, सम्बन्धित भूमि का रकबा, नये खातेदारों के नाम, प्रस्तावित आराजी नम्बर एवं भूमि की किस्म स्पष्ट रूप से अंकित की गई है तथा नजरी नक्शे में रास्ते की भूमि को स्पष्ट रूप से काले स्याही की पेन से दर्शाया गया, जिससे यह जाहिर होता है कि अपीलाण्ट्स को बंटवाड़े की प्रकृति, उसके परिणाम तथा राजस्व अभिलेखों पर पड़ने वाले प्रभाव की पूर्ण जानकारी थी। हस्तगत प्रकरण में यह भी तथ्यात्मक रूप से स्थापित है कि बंटवाड़ा कार्रवाही मौके पर निरीक्षण के उपरान्त, राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में एवं निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सम्पन्न की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एक स्वतंत्र एवं सक्षम राजस्व कार्मिक द्वारा तैयार की गई है, जिसमें प्रस्तावित कब्जा काश्त एवं नजरी नक्शा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

सम्मिलित है, जिसमें रास्ते का स्पष्ट रूप से अंकन अपीलाण्ट्स द्वारा वांछित रास्ते के अनुरूप है। उक्त रिपोर्ट पर भी समस्त आवेदकों के हस्ताक्षर अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट सभी खातेदारों की उपस्थिति एवं सहमति से तैयार की गई तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट्स के खातों, खसरा संख्या एवं रकबे का विभाजन उनकी आपसी सहमति के अनुरूप स्वीकृत किया गया तथा उसी के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश पारित किए गए। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पारित आदेश किसी प्रकार की एकतरफा या मनमानी कार्यवाही का परिणाम है। सम्पूर्ण कार्रवाई के दौरान अपीलाण्ट्स द्वारा न तो किसी स्तर पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई और न ही प्रक्रिया की वैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा वर्तमान अपील में यह कहना कि उनके द्वारा चाहा गया रास्ता विपरीत दिशा में दर्ज हो गया है, अभिलेखीय साक्ष्यों से असत्य सिद्ध होता है, क्योंकि आवेदन–पत्र, नजरी नक्शा एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट में जिस दिशा में रास्ता प्रस्तावित किया गया था वही रास्ता राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार प्रक्रिया अपनाते हुये पक्षकारों की सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलाण्ट केवल झूठे कथनों के आधार पर उक्त सहमति बंटवाड़े को निरस्त करवाना चाहते है जो स्वीकार्य नहीं है। इन समस्त तथ्यों एवं न्यायिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर अपील में बल नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली